[illegible] करोबार मंचार उपस्थित आये। [illegible] दिनांक 13/7/18 को सुनवाई रखी गई।

[illegible] पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकार उपस्थित आये। करोबार मंचार उपस्थित आये। जवाब के लिए प्रकरण नियत रहा। अतः पत्रावली दिनांक 24/10 को पेश हो।

[illegible] पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकार उपस्थित आये। जिला मजिस्ट्रेट अधिकारी मुख्यालय के आदेश अनुसार पत्रावली अभिमुकट दिनांक 24/8/18 को नियत की जाये।

[illegible] पत्रावली पेश हुई। वकील कपिल उपस्थित आये। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में आज वकील द्वारा प्रार्थना पत्र अनुविधा 136 [illegible] के तहत प्रस्तुत किया। प्रार्थी के अधिवक्ता के तर्क सुने गये। पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों से यह प्रकरण अनुविधा 136 [illegible] के तहत नहीं आता है। अतः प्रकरण उपरोक्त आदेश द्वारा निरस्त किया जाता है। प्रकरण इसी स्तर पर अनुविधा 136 [illegible] के अधीन किया जाता है। प्रकरण नस्तर से समाप्त किया जाकर आदेश वकील तामील कराया जावे।